भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

संख्या: एएआई/केआईडी/डीआईएपीएल/2006 25 **अप्रैल**, 2006

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
चौथी मंजिल, बिड़ला टावर
25, बाराखंभा रोड
नई दिल्ली

विषय: लीज डीड और सीएनएस/एटीएम समझौते को अग्रेषित करना।

महोदय,

कृपया 25 अप्रैल, 2006 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य निष्पादित मूल लीज डीड और सीएनएस/एटीएम समझौते की सूचना और रिकॉर्ड के लिए संलग्न प्राप्त करें।

कृपया इसकी प्राप्ति की पुष्टि करें।

भवदीय,

(वी.के. कालरा)
कार्यकारी निदेशक (केआईडी)

संलग्नक:

1. लीज डीड (मूल प्रति)
2. सीएनएस/एटीएम समझौता (मूल प्रति)

नई दिल्ली

हेतु

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

और

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

के मध्य

सीएनएस/एटीएम सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान हेतु समझौता

25 **अप्रैल**, 2006

विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय / अनुसूची	पृष्ठ संख्या
1.	परिभाषाएं और व्याख्या	2

क्रम संख्या	अध्याय / अनुसूची	पृष्ठ संख्या
2.	पूर्ववर्ती शर्तें	5
3.	सेवाओं का दायरा	6
4.	राजस्व और शुल्क	8
5.	सेवाओं के मानक और निष्पादन में विफलता	9
6.	अप्रत्याशित घटना	10
7.	अवधि	11
8.	समनुदेशन	11
9.	विवाद निवारण	12
10.	सूचनाएं	12
11.	मानद सुपुर्दगी	13
12.	समन्वय समिति	13
13.	शासी भाषा	15

क्रम संख्या	अध्याय / अनुसूची	पृष्ठ संख्या
14.	शासी कानून	15
अनुसूची 1	अनुसूची 1	16
अनुसूची 2	अनुसूची 2	17

दिल्ली C 020439

सीएनएस/एटीएम सुविधा और सेवा समझौता

यह **सीएनएस/एटीएम सुविधा और सेवा समझौता** (यह "**समझौता**") अप्रैल 2006 के 25वें दिन निष्पादित किया गया है।

निम्नलिखित के मध्य व द्वारा:

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत गठित एक प्राधिकरण है, जिसका मुख्य कार्यालय राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली में है और यह अपने अध्यक्ष के माध्यम से कार्य कर रहा है (जिसे इसके बाद "**एएआई**" कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ या अर्थ के विपरीत न होने पर इसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरित व्यक्ति शामिल होंगे) **प्रथम पक्ष**; और
2. **दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय चौथी मंजिल, बिड़ला टावर, 25, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - 110001 पर है (जिसे इसके बाद "**जेवीसी**" कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ या अर्थ के विपरीत न होने पर इसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरित व्यक्ति शामिल होंगे) **द्वितीय पक्ष** है।

एएआई और जेवीसी को इसके बाद सामूहिक रूप से "**पक्षकार**" और व्यक्तिगत रूप से "**पक्ष**" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

जबकि:

(क) जेवीसी ने दिनांक 04.04.2006 को एक संचालन, प्रबंधन और विकास समझौता ("ओएमडीए") किया है, जिसके तहत वह हवाईअड्डे के विकास, संचालन, प्रबंधन, उन्नयन, आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

दिल्ली C 020440

(**ख**) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 ("अधिनियम") के अनुसार एएआई (AAI) भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर और भारत के सभी नागरिक हवाईअड्डों पर हवाई यातायात सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

(**ग**) उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, एएआई (AAI) इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर हवाईअड्डे पर हवाई यातायात सेवाएं प्रदान करेगा।

इसलिए अब, पूर्वगामी और इस समझौते में निर्धारित संबंधित अनुबंधों और समझौतों के प्रतिफल में और अन्य प्रतिफल, जिनकी प्राप्ति, पर्याप्तता और उपयुक्तता को स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्षकार निम्नानुसार सहमत हैं:

1. **परिभाषाएं और व्याख्या**

1.1 **परिभाषाएं** इस समझौते में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

"**एएआई उपकरण**" का अर्थ जेवीसी उपकरणों को छोड़कर वे सभी उपकरण हैं, जो एएआई को एएआई सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए एएआई द्वारा आवश्यक हैं;

"**एएआई सेवाएं**" का अर्थ खंड 3.1 के अनुसार एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं;

"**संबद्ध संस्था** (**एफिलिएट**)" किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है या उसके साथ समान नियंत्रण के अध्यधीन होता है; बशर्ते, हालांकि, इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, नियम...

"**नियंत्रित करना**", "**द्वारा नियंत्रित**" **या** "**समान नियंत्रण के अध्यधीन**" का अर्थ है किसी व्यक्ति के प्रबंधन और नीतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्देशित करने या मार्गदर्शन करने की शक्ति होना, चाहे वह मतदान प्रतिभूतियों के स्वामित्व के माध्यम से हो, अनुबंध द्वारा या अन्यथा, या ऐसे व्यक्ति के

संबंध में कम से कम 50% निदेशकों, प्रबंधकों, भागीदारों या समान अधिकार का प्रयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को चुनने या नियुक्त करने की शक्ति हो;

"**एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम**" का अर्थ प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रावधानों के अनुसार विमान संचालन और एरोड्रोम श्रेणी के लिए आवश्यक हवाईअड्डे पर प्रकाश प्रणालियों (रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच के संबंध में शामिल) से है;

"**हवाई अड्डा**" का अर्थ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है;

"**हवाई अड्डा स्थल (एयरपोर्ट साइट)**" का वही अर्थ है जो ओएमडीए (OMDA) में इसे सौंपा गया है;

"**शिकागो कन्वेंशन**" का अर्थ समय-समय पर संशोधित और/या पूरक शिकागो कन्वेंशन 1944 से है; और शिकागो कन्वेंशन के किसी "**अनुलग्नक** (Annexe)" का संदर्भ समय-समय पर संशोधित और/या पूरक ऐसे अनुलग्नक से माना जाएगा;

"**सीएनएस/एटीएम सेवाएं**" का अर्थ संचार, दिक्चालन और निगरानी तथा हवाई यातायात प्रबंधन सेवाओं से है, जैसा कि अनुसूची 2 में अधिक विशेष रूप से वर्णित है;

"**डीजीसीए** (DGCA)" का अर्थ नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार है;

"**प्रभावी तिथि**" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 2.1 में दिया गया है;

"**सुविधा** (Facility)" का अर्थ हवाईअड्डे पर हवाई यातायात सेवा परिसर से है, जिसमें वातानुकूलन, बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति और हाउस-कीपिंग के प्रावधान के साथ एएआई कर्मियों के लिए नियंत्रण टावर, तकनीकी ब्लॉक और कार्यालय स्थान शामिल हैं;

"**भारत सरकार** (GOI)" का अर्थ भारत सरकार और भारत सरकार के नियंत्रण और निर्देशन के तहत कोई भी एजेंसी, प्राधिकरण (किसी भी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षक, मंत्रालय या वैधानिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) है;

"**आईसीएओ** (ICAO)" का अर्थ शिकागो कन्वेंशन द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और उसका कोई भी उत्तराधिकारी है;

"**आईसीएओ अनुलग्नक और दस्तावेज**" का अर्थ समय-समय पर संशोधित आईसीएओ अनुलग्नक और दस्तावेज हैं;

"**घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया**" का अर्थ घटनाओं और आपात स्थिति की रिपोर्टिंग के लिए एएआई और जेवीसी द्वारा समय-समय पर सहमत होने वाली प्रक्रिया से है;

"**जेवीसी उपकरण**" का अर्थ अनुसूची 1 में निर्धारित वस्तुओं से है;

"**जेवीसी के दायित्व**" का अर्थ खंड 3.3 के अनुसार जेवीसी द्वारा पूरे किए जाने वाले दायित्वों से है;

"**नुकसान** (Loss)" का अर्थ है कोई भी नुकसान, देनदारियां, लागत, खर्च, दावे, कार्यवाही, कार्रवाई, मांगें, दायित्व, कमियां, मुकदमे, फैसले, निषेधाज्ञा (injunctions), निर्णय (awards) या क्षति;

"**मौसम संबंधी सुविधाएं** (Meteorological Facilities)" मौसम संबंधी सुविधाओं में विभिन्न मौसम संबंधी उपकरण और प्रणालियां, उड़ान के विभिन्न चरणों जैसे पूर्व-उड़ान योजना, उड़ान भरना (take-off), क्लाइंब-आउट, लेवल-क्रूज़, उतरना (descent) और लैंडिंग से संबंधित मौसम डेटा शामिल हैं। इसमें चार्ट, दस्तावेज, पूर्वानुमान, प्रसारण और ब्रीफिंग भी शामिल हैं।

"**ओएमडीए** (OMDA)" का वही अर्थ है जो इसके प्रस्तावना (Recitals) में सौंपा गया है;

"**परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया** (Operating Reporting Procedure)" का अर्थ एएआई सेवाओं और जेवीसी के दायित्वों से संबंधित प्रावधानों के दैनिक निर्वहन के संबंध में जानकारी के संचार के लिए एएआई और जेवीसी द्वारा समय-समय पर सहमत होने वाली प्रक्रिया से है;

"**व्यक्ति** (Person)" का अर्थ कोई भी व्यक्ति, निगम, कंपनी, साझेदारी, सीमित देयता कंपनी, संयुक्त उद्यम, संघ या ट्रस्ट या कोई अन्य संस्था या संगठन होगा;

"**कार्मिक** (Personnel)" का अर्थ सीएनएस/एटीएम (CNS/ATM) सेवाएं प्रदान करने वाले एएआई कर्मी हैं;

"**रेसा** (RESA)" **या** "**रनवे एंड सेफ्टी एरिया**" का अर्थ विस्तारित रनवे सेंटर लाइन के चारों ओर सममित और स्ट्रिप के अंत से सटे हुए ऐसे क्षेत्र से है, जो मुख्य रूप से रनवे से पहले उतरने (undershooting) या रनवे से आगे निकल जाने (overrunning) वाले विमान को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए होता है;

"**रूट दिक्चालन सुविधाएं शुल्क** (Route Navigation Facilities Charges)" का अर्थ एएआई के वर्तमान आदेशों के अनुसार रूट दिक्चालन सुविधाओं के प्रावधान के लिए एएआई द्वारा एयरलाइंस और/या विमान ऑपरेटरों से वसूले जाने वाले शुल्क से है;

"**टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क** (Terminal Navigational Landing Charges)" का अर्थ टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई द्वारा एयरलाइंस या विमान ऑपरेटरों से वसूले गए या वसूले जाने वाले शुल्क से है।

1.2 **व्याख्या** (Interpretation)

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) एकवचन के संदर्भ में बहुवचन का संदर्भ शामिल होगा और इसके विपरीत भी; और किसी भी लिंग के संदर्भ में दूसरे लिंग का संदर्भ शामिल होगा।

(ii) किसी भी अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक या अनुलग्नक का संदर्भ इस समझौते के अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक या अनुलग्नक का संदर्भ माना जाएगा।

(iii) परिशिष्ट, अनुसूचियां, संलग्नक और अनुलग्नक इस समझौते का एक अभिन्न अंग हैं। अनुच्छेदों के किसी भी प्रावधान और परिशिष्टों, अनुसूचियों, संलग्नकों या अनुलग्नकों के किसी भी प्रावधान के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, अनुच्छेदों का प्रावधान मान्य होगा।

(iv) कानून का बल रखने वाले किसी भी कानून या विनियमन के संदर्भ में समय-समय पर यथा संशोधित, परिवर्तित, पूरक, विस्तारित या पुनर्मूल्यांकित कानून या विनियमन का संदर्भ शामिल है।

(v) समय का कोई भी संदर्भ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, भारत में समय के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा। कैलेंडर के किसी भी संदर्भ को ग्रेगोरियन कैलेंडर के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

(vi) इस समझौते में अनुच्छेदों, खंडों, परिशिष्टों, अनुसूचियों, संलग्नकों और अनुलग्नकों के शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए डाले गए हैं और इस समझौते के अर्थ या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

(vii) "शामिल हैं" या "शामिल करते हुए" शब्दों के बाद "बिना किसी सीमा के" या "लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं" माना जाएगा, चाहे उनके बाद ऐसे वाक्यांश हों या न हों।

(viii) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, संदर्भित समय की किसी भी अवधि को ऐसी अवधि की अंतिम तिथि के अंत में समाप्त माना जाएगा।

(ix) यदि अनुच्छेद 1 में कोई भी प्रावधान किसी भी पक्ष को अधिकार प्रदान करने वाला या दायित्व थोपने वाला एक मौलिक प्रावधान है, तो उसे इस प्रकार प्रभावी किया जाएगा मानो वह इस समझौते के मुख्य भाग में एक मौलिक प्रावधान हो।

(x) निर्माण का नियम, यदि कोई हो, कि किसी अनुबंध की व्याख्या उसके प्रारूपण और तैयारी के लिए जिम्मेदार पक्षकारों के खिलाफ की जानी चाहिए, लागू नहीं होगा।

(xi) समझौतों, दस्तावेजों या अन्य उपकरणों के सभी संदर्भों में (सभी प्रासंगिक अनुमोदनों के अध्यधीन) समय-समय पर संशोधित, पूरक, परिवर्तित, प्रतिस्थापित, नवीनीकृत या हस्तांतरित उस समझौते, दस्तावेज या उपकरण का संदर्भ शामिल है।

2. पूर्ववर्ती शर्तें

2.1 सेवाओं के लिए पूर्ववर्ती शर्तें

इस समझौते के प्रावधान (खंड 1, 2, 8 से 14 तक शामिल प्रावधानों को छोड़कर जो इस समझौते की तारीख से ही पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे) उस तारीख ("प्रभावी तिथि") से प्रभावी और पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे, जिस तारीख को ओएमडीए (OMDA) की पूर्ववर्ती शर्तें उसकी शर्तों के अनुसार पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती हैं या माफ कर दी जाती हैं।

2.2 पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति न होना

यदि पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति न होने के कारण ओएमडीए (OMDA) को समाप्त कर दिया जाता है, तो यह समझौता दोनों में से किसी भी पक्ष पर बिना किसी दायित्व के तुरंत समाप्त हो जाएगा।

3. सेवाओं का दायरा

3.1 एएआई सेवाएं

एएआई अपनी अवधि के दौरान हर समय (प्रतिदिन चौबीस घंटे सहित), प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निर्धारित मानकों के अनुसार और अपनी लागत पर:

(i) सीएनएस/एटीएम (CNS/ATM) सेवाएं प्रदान करेगा;

(ii) एएआई उपकरणों का रखरखाव करेगा, जिसमें एएआई उपकरणों का आवधिक उड़ान अंशांकन (फ्लाइट कैलिब्रेशन) और अन्य परीक्षण शामिल हैं;

(iii) समय-समय पर एएआई उपकरणों को उन्नत (अपग्रेड) करेगा (क) कम से कम प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए; और (ख) हवाईअड्डे के विस्तार/उन्नयन के परिणामस्वरूप;

(iv) हवाईअड्डे पर प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) अनुलग्नकों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार और इस समझौते के तहत एएआई द्वारा बनाए रखे जाने वाले मानकों के अनुसार सीएनएस/एटीएम (CNS/ATM) सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक उपकरणों की अपनी लागत पर खरीद करेगा;

(v) शिकागो कन्वेंशन के तहत समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित परिपाठियों के अनुसार और उन्हीं शर्तों पर, जैसा कि एएआई अन्य सभी एएआई हवाईअड्डों पर ऐसी सेवाएं प्रदान करता है, हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम (CNS/ATM) सेवाओं के प्रावधान के लिए मौसम संबंधी सुविधाओं और सेवाओं को प्राप्त करेगा, जब तक कि भारत सरकार एएआई के स्थान पर किसी अन्य एजेंसी को नामित करने का निर्णय न ले ले; और

(vi) अपनी परिचालन सुविधा के लिए एएआई उपकरणों को स्थानांतरित करेगा, बशर्ते कि इस प्रकार के स्थानांतरण से ओएमडीए (OMDA) के तहत जेवीसी के दायित्व या हवाईअड्डे का सुचारू संचालन प्रभावित न हो।

3.2 **एटीएम, एन-रूट और अन्य सेवाएं**

यदि एएआई को आवश्यकता होती है, तो वह अपनी लागत पर एन-रूट हवाई दिक्चालन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी रडार, उपकरण, भवन, कार्य या सुविधाओं को हवाईअड्डे पर या हवाई अड्डा स्थल पर स्थितिबद्ध (या आवश्यकतानुसार स्थानांतरित) कर सकता है। हवाईअड्डे पर ऐसे रडार, उपकरण, भवन, कार्य या अन्य सुविधाओं को स्थानांतरित करते समय, एएआई हवाईअड्डे के सामान्य संचालन में किसी भी बाधा से बचने के लिए उचित उपाय करेगा। संदेह से बचने के लिए, सीएनएस/एटीएम (CNS/ATM) सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्यों से किए गए ऐसे स्थानांतरण के कारण हवाईअड्डे के सामान्य संचालन में किसी भी व्यवधान के लिए एएआई को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

3.3 **जेवीसी के दायित्व** (JVC Obligations): इस समझौते की अवधि के दौरान, जेवीसी, ओएमडीए (OMDA) में निर्धारित आवश्यकताओं के अतिरिक्त:

3.3.1 यह सुनिश्चित करेगा कि रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच का निर्माण और रखरखाव प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रावधानों के अनुसार विमान संचालन के लिए उपयुक्त रूप से किया गया है और वे विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं;

3.3.2 यह सुनिश्चित करेगा कि रनवे के लिए स्ट्रिप्स, शोल्डर्स, स्टॉप वे और रेसा (RESA) तथा टैक्सीवे और आइसोलेशन बे आदि के लिए स्ट्रिप्स और शोल्डर्स का निर्माण और रखरखाव प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया गया है;

3.3.3 यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे की बाधा सीमा सतहों (ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस) तथा एप्रोच और टेक-ऑफ क्षेत्र को बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा या बाधाओं को अनुमेय सीमाओं तक सीमित रखा जाएगा;

3.3.4 यह सुनिश्चित करेगा कि बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणी उपलब्ध कराई जाएगी और उसका रखरखाव आईसीएओ प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा;

3.3.5 यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न सीएनएस/एटीएम उपकरणों/सुविधाओं के लिए एएआई द्वारा चिह्नित संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाएगा ताकि उपकरणों के कामकाज और विमान संचालन की सुरक्षा प्रभावित न हो;

3.3.6 यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालन क्षेत्र में और उसके आसपास पक्षी/पशु उपद्रव को रोकने के लिए हवाईअड्डे पर उचित व्यवस्थाएं मौजूद हैं;

3.3.7 यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाईअड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक (कंटिंजेंसी) व्यवस्थाएं मौजूद हैं: *(i)* रनवे से असक्षम/क्षतिग्रस्त विमान को हटाना; *(ii)* विमान या हवाईअड्डे को बम से उड़ाने की धमकी; *(iii)* हवाईअड्डे और उसके आसपास विमान दुर्घटनाएं; *(iv)* गैर-अनुसूचित विमान का हवाईअड्डे पर उतरने के लिए मजबूर होना; *(v)* हवाईअड्डे पर आग लगना; *(vi)* प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां; *(vii)* हवाईअड्डे पर हड़ताल; *(viii)* नागर विमानन क्षेत्र में/के साथ गैर-कानूनी हस्तक्षेप।

3.3.8 यह सुनिश्चित करेगा कि आपातकालीन सेवाओं (आग, चिकित्सा और पुलिस) और हवाई अड्डा प्रबंधक को सुविधा से जोड़ने के लिए आपातकालीन अलार्म घंटियां स्थापित की गई हैं;

3.3.9 एएआई सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक एएआई कर्मियों, वाहनों और एजेंटों को हवाईअड्डे तक ऐसी पहुंच प्रदान करेगा।

3.3.10 एएआई के अनुरोध पर, एएआई को एएआई सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए विद्युत शक्ति और पानी की निरंतर आपूर्ति प्रदान करेगा। ऐसी स्थिति में, एएआई जेवीसी द्वारा एएआई द्वारा उपभोग की गई सीमा तक बिजली और पानी की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा।

3.3.11 इस सीमा तक कि एएआई यह निर्धारित करता है कि, हवाईअड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप, हवाईअड्डे पर विद्युत शक्ति की अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति की आवश्यकता है, एएआई जेवीसी को अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में सूचित करेगा और पक्षकार एएआई द्वारा आवश्यक अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति के संबंध में समझौते तक पहुंचने के लिए चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे।

3.3.12 एएआई और/या उसके कर्मियों को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो उन्हें एएआई सेवाओं के निष्पादन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो;

3.3.13 एएआई सेवाएं प्रदान करने के लिए हवाईअड्डे पर तैनात एएआई कर्मियों और एएआई के एजेंटों को जहां भी और जब भी आवश्यक हो, भारत सरकार की एजेंसियों पर समय-समय पर लागू नियमों और शर्तों पर कार्यालय स्थान और सुविधा हर समय उपलब्ध कराएगा;

3.3.14 अपनी लागत पर, प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम, मुख्य और स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करेगा;

3.3.15 यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी और एजेंट, ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में किसी भी विफलता या दोष और एएआई को किसी भी जेवीसी उपकरण की अनुपलब्धता के बारे में ऐसी विफलता या दोष से अवगत होते ही रिपोर्ट करें;

3.3.16 आपात स्थिति को छोड़कर, पक्षकारों के बीच लिखित रूप में परस्पर सहमति के अनुसार ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के तहत, जेवीसी द्वारा प्रदान किए गए किसी भी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं के किसी भी प्रस्तावित बंद होने या वापस लेने के बारे में एएआई को सूचित करेगा;

3.3.17 एएआई के निर्देश पर, जेवीसी की लागत पर, रनवे या आवाजाही वाले क्षेत्रों से किसी भी बाधा को हटाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी और एजेंट ऐसी किसी भी बाधा के बारे में जागरूक होने पर, यथास्थिति, ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया या घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार एएआई को सूचित करें;

3.3.18 हवाईअड्डे पर किसी भी परिवर्तन या संशोधन के कारणों से, अपनी लागत पर एएआई उपकरणों को स्थानांतरित करेगा;

3.3.19 यदि जेवीसी को आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक एएआई उपकरणों को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है, तो एएआई उपकरणों के ऐसे वृद्धिशील (इंक्रीमेंटल) अपग्रेडेशन की लागत जेवीसी द्वारा वहन की जाएगी।

3.3.20 जेवीसी हर समय आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों के अनुसार जेवीसी उपकरणों का रखरखाव और अपग्रेडेशन करेगा।

4. **राजस्व और शुल्क**

4.1 **रूट दिक्चालन सुविधाएं शुल्क** एएआई, प्रासंगिक सेवाओं का निष्पादन करने के प्रतिफल में, एयरलाइंस से सीधे रूट दिक्चालन सुविधाएं शुल्क वसूलने का हकदार होगा।

4.2 **टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क** (Terminal Navigational Landing Charges)

एयरलाइंस द्वारा देय टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क सीधे एयरलाइंस द्वारा एएआई (AAI) को दिया जाएगा।

4.3 **संग्रह** (Collection)

- 4.3.1 रूट दिक्चालन सुविधाएं शुल्क एएआई द्वारा सीधे एयरलाइंस से एकत्र की जाएंगी। किसी भी एयरलाइन द्वारा रूट दिक्चालन सुविधा शुल्क का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में, एएआई ऐसी एयरलाइन को सेवाओं के प्रावधान को निलंबित करने और अपने रूट दिक्चालन सुविधा शुल्क की वसूली के लिए उचित कदम उठाने का हकदार होगा।
- 4.3.2 टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क एएआई द्वारा एयरलाइंस से एकत्र किया जाएगा। किसी भी एयरलाइन द्वारा एएआई को टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क का भुगतान करने में विफलता की

स्थिति में, एएआई ऐसी एयरलाइन को ऐसी सेवाओं का प्रावधान निलंबित करने और अपने टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क को वसूलने के लिए उचित कदम उठाने का हकदार होगा।

5. **सेवाओं के मानक और निष्पादन में विफलता** (STANDARDS OF SERVICES AND FAILURE TO PERFORM)

5.1 **सेवाओं के मानक** (Standards of Services)

- 5.1.1 एएआई हर समय प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निर्धारित मानकों के अनुसार एएआई सेवाएं प्रदान करेगा और एएआई सेवाओं या एएआई उपकरणों के प्रावधान के संबंध में जेवीसी को कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 5.1.2 एएआई हर समय सेवाओं का ऐसा मानक प्रदान करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रति घंटे रनवे की आवाजाही (जेट एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स) समान रनवे कॉन्फ़िगरेशन और मौसम संबंधी स्थितियों के तहत एशिया प्रशांत क्षेत्र के पांच उच्चतम यातायात हवाईअड्डों पर हासिल की जा रही सीमा के भीतर होगी।

5.2 **क्षतिपूर्ति** (Indemnity)

जेवीसी एएआई और उसके ठेकेदारों, प्रमुखों और एजेंटों को जेवीसी दायित्वों के प्रदर्शन (चाहे कार्य या चूक द्वारा) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूरी तरह से या आंशिक रूप से उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्ष के दावों के कारण एएआई और उसके ठेकेदारों, प्रमुखों और एजेंटों द्वारा वहन की गई या उन पर लगाई गई हानि, लागत, व्यय, देयता या क्षति के बराबर भुगतान से क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें नुकसान से बचाएगा (अप्रत्याशित घटना/Force Majeure की स्थिति में छूट दी गई है), जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु या हानि या संपत्ति के नुकसान के दावों के दावे शामिल हैं।

जेवीसी एएआई और उसके ठेकेदारों, प्रमुखों और एजेंटों को एएआई सेवाओं के प्रावधान के तहत एएआई और उसके ठेकेदारों, प्रमुखों और एजेंटों द्वारा वहन किए गए नुकसान, लागत, व्यय, देयता या क्षति के बराबर सभी भुगतानों से भी क्षतिपूर्ति करेगा, बचाव करेगा और नुकसान से बचाएगा, सिवाय इसके कि ऐसा नुकसान, लागत, व्यय, देयता या क्षति घोर लापरवाही या जानबूझकर ...चूक का परिणाम न हो जो एएआई, उसके ठेकेदारों, प्रमुखों या एजेंटों की ओर से हुई हो।

5.3 **दायित्व**

पक्षकारों का इरादा है कि इस समझौते में निहित अधिकार, दायित्व और देनदारियां इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों का एक संपूर्ण विवरण होंगी। तदनुसार, इस समझौते और इसके अनुसरण में दर्ज किए गए किसी भी दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से बताए गए उपचार, कानून या न्यायशास्त्र में अन्यथा उपलब्ध किसी भी उपचार के बावजूद, इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में एक-दूसरे के प्रति देनदारियों के लिए पक्षकारों के एकमात्र और विशिष्ट उपचार होंगे, जिसमें इसके संबंध में दिया गया कोई भी प्रतिनिधित्व, वारंटी या उपक्रम शामिल है। एएआई सेवाएं प्रदान करने के संबंध में एएआई की देयता आउटेज समय की अवधि और/या आईसीएओ मानकों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता से गिरावट के अनुरूप टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क तक सीमित होगी।

6. **अप्रत्याशित घटना** (FORCE MAJEURE)

6.1 जेवीसी, या एएआई, जैसा भी मामला हो, इस समझौते के तहत अपने संबंधित दायित्वों के निष्पादन को उस सीमा तक निलंबित करने या छूट देने के हकदार होंगे, जिस सीमा तक ऐसा निष्पादन सीधे तौर पर अप्रत्याशित घटना ("फोर्स मेज्योर") के कारण असंभव हो जाता है, जब तक कि ऐसी घटना जारी रहती है।

6.2 इस समझौते में, "फोर्स मेज्योर" का अर्थ निम्नलिखित से होगा:

1. युद्ध (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी दुश्मन का कार्य, प्रत्येक मामले में भारत शामिल हो या सीधे प्रभावित होता हो;
2. क्रांति, दंगा, विद्रोह या अन्य नागरिक उपद्रव, आतंकवाद का कार्य या तोड़फोड़ (सबोटाज), प्रत्येक मामले में भारत के भीतर;
3. परमाणु विस्फोट, रेडियोधर्मी या रासायनिक संदूषण या आयनकारी विकिरण, जब तक कि विस्फोट, संदूषण, विकिरण या खतरनाक वस्तु का स्रोत या कारण जेवीसी या जेवीसी के किसी भी सहयोगी या जेवीसी के किसी भी ठेकेदार या उप-ठेकेदार या ऐसे किसी भी सहयोगी या उनके संबंधित कर्मचारियों, सेवकों या एजेंटों द्वारा हवाईअड्डे के पास या उसके आसपास न लाया गया हो;
4. हड़ताल, वर्क टू रूल (नियमानुसार काम), धीमा काम (गो-स्लो) और/या तालाबंदी, जो प्रत्येक मामले में व्यापक, राष्ट्रव्यापी या राजनीतिक हो;
5. प्राकृतिक तत्वों का कोई भी प्रभाव, जिसमें बिजली गिरना (lighting), आग, भूकंप, ज्वारीय लहर (समुद्री तूफान), बाढ़, तूफान, चक्रवात, टाइफून या बवंडर शामिल हैं;
6. विस्फोट (परमाणु विस्फोट या युद्ध के कार्य के परिणामस्वरूप होने वाले विस्फोट को छोड़कर);
7. महामारी या प्लेग;
8. विमान दुर्घटना या खराबी; या
9. उपर्युक्त खंड 6.2 के पैराग्राफ 1-8 में निर्धारित किसी भी घटना के समान प्रकृति की कोई भी घटना या परिस्थितियां।

6.3 **अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) के लिए प्रक्रिया**

(**क**) यदि कोई पक्षकार अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) के कारण राहत का दावा करता है, तो प्रभावित पक्षकार तुरंत ऐसी घटना से अवगत होने पर नोटिस देगा और विस्तार से विवरण देगा: *(i)* घटी हुई फोर्स मेज्योर घटना(एं); *(ii)* वे दायित्व जिनका पालन करना असंभव हो गया है; *(iii)* ऐसी फोर्स मेज्योर घटना के शुरू होने और समाप्त होने की अनुमानित तिथियां; और *(iv)* जिस तरीके से फोर्स मेज्योर घटना इस समझौते के तहत पक्षकार के दायित्वों को प्रभावित करती है। कोई भी पक्षकार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन न करने को तब तक निलंबित या माफ नहीं कर सकेगा जब तक कि उस पक्षकार ने ऊपर विनिर्दिष्ट नोटिस न दिया हो।

(**ख**) प्रभावित पक्षकार को ऊपर उप-खंड (a) के अनुसार फोर्स मेज्योर घटना की घटना का नोटिस देने पर, उन विशिष्ट दायित्वों के निष्पादन को निलंबित करने का अधिकार होगा जो सीधे तौर पर असंभव हो गए हैं।

(**ग**) फोर्स मेज्योर के तहत राहत के दावे को प्राप्त करने वाला पक्षकार, यदि वह दावे का विरोध करना चाहता है, तो दावे का नोटिस प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर दावा करने वाले पक्षकार को विवाद का लिखित नोटिस देगा। यदि दावे के नोटिस का विरोध ऊपर बताए अनुसार 10 दिनों

के भीतर नहीं किया जाता है, तो इस समझौते के सभी पक्षकारों द्वारा दावे की वैधता को स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा। यदि कोई पक्षकार दावे पर विवाद करता है, तो पक्षकार नीचे धारा 9 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

7. **अवधि** (TERM)

इस समझौते की अवधि ओएमडीए (OMDA) की अवधि के सह-समाप्त (co-terminus) होगी।

8. **समनुदेशन** (ASSIGNMENT)

(i) **जेवीसी द्वारा**: जेवीसी, एएआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना, इस समझौते के तहत अपने अधिकारों, या अपने सभी या किसी भी दायित्वों या देनदारियों को न तो असाइन करेगा, न हस्तांतरित करेगा, न गिरवी रखेगा, न प्रभारित करेगा, न सब-लेट (उप-किराया) करेगा, न सौदा करेगा, न उप-अनुबंध करेगा, न उप-लाइसेंस देगा या अन्यथा अधिकार प्रदान करेगा।

(ii) **एएआई द्वारा**: एएआई द्वारा अन्यथा हस्तांतरित करने, सौदा करने या इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्वों को प्रदान करने पर कोई प्रतिबंध लगाए बिना, यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि जेवीसी की सहमति की आवश्यकता के बिना:

क) एएआई इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार का लाभ सौंप सकता है या उस पर कोई अन्य प्रभार (encumbrance) बना सकता है; और

ख) एएआई इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार और दायित्वों को इस शर्त के अध्यधीन सौंप और हस्तांतरित कर सकता है कि वह हस्तांतरिती (assignee) द्वारा ऐसे सभी दायित्वों के पूर्ण और समग्र अनुपालन और निष्पादन को सुनिश्चित करने की गारंटी दे। हालांकि, बशर्ते कि एएआई बिना कोई गारंटी दिए इस समझौते को किसी उत्तराधिकारी संस्था या एएआई सेवाओं के समान सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाए गए किसी वैधानिक या अन्य प्राधिकरण को सौंप सकता है।

9. **विवाद निवारण**

9.1 **सौहार्दपूर्ण समाधान**

पक्षकार किसी भी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का अपना-अपना उचित प्रयास करेंगे। यदि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद का लिखित नोटिस देने के साठ (60) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता है, तो खंड 9.2 के प्रावधान लागू होंगे।

9.2 **मध्यस्थता**

(i) इस समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, जो इस खंड 9.1 के तहत अनसुझाये रहते हैं, (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता के लिए एक एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किए जाएंगे, जो दोनों पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमत होगा। यदि पक्षकार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के तीस (30) दिनों के भीतर एकमात्र मध्यस्थ पर सहमत नहीं हो पाते हैं, या किसी भी कारण से असमर्थ होते हैं, तो विवाद को तीन (3) मध्यस्थों वाले एक ट्रिब्यूनल को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता के लिए प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और इस प्रकार

नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे जो ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (मिलकर "**मध्यस्थता न्यायाधिकरण** / Arbitral Tribunal")।

(ii) मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय (निर्णय) पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(iii) मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा।

(iv) यह खंड 9.2 इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी लागू रहेगा (survive करेगा)।

(v) मध्यस्थता का शासी कानून भारत के कानून होंगे।

10. **सूचनाएं**

10.1 **लिखित में संचार**

ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध में छोड़कर, इस समझौते के तहत या इसके संबंध में किया जाने वाला कोई भी संचार लिखित रूप में किया जाएगा और, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, फैक्स या पत्र द्वारा किया जा सकता है।

10.2 **पते**

इस समझौते के तहत या इसके संबंध में किए जाने वाले या वितरित किए जाने वाले किसी भी संचार या दस्तावेज के लिए प्रत्येक पक्ष का पता और फैक्स नंबर (और विभाग या अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके ध्यान में संचार लाया जाना है) निम्नानुसार है:

JVC:
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
चौथी मंजिल, बिड़ला टावर,
25, बाराखंभा रोड नई दिल्ली - 110 001

ध्यानार्थ: श्री श्रीनिवास बोम्मिडाला
फैक्स नंबर: +91-11-23766352

AAI:
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली - 110 003

ध्यानार्थ: अध्यक्ष
फैक्स नंबर: +91-11-24641088

या ऐसा कोई वैकल्पिक पता, फैक्स नंबर या विभाग या अधिकारी जैसा कि पक्षकार कम से कम पांच कार्य दिवसों के नोटिस द्वारा अन्य पक्षकारों को सूचित कर सकता है।

11. **मानद सुपुर्दगी**

इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए के अध्यधीन, इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में कोई भी संचार प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त माना जाएगा (यदि फैक्स द्वारा भेजा गया है) उस स्थान पर अगले कार्य दिवस पर जहां इसे भेजा गया है या (किसी भी अन्य मामले में) जब खंड 10.2 द्वारा अपेक्षित पते पर छोड़ दिया जाता है या उस पते पर डाक शुल्क का पूर्व-भुगतान करके पंजीकृत डाक द्वारा (यदि किसी अन्य देश में हो तो एयरमेल द्वारा) भेजे जाने के 10 ऐसे कार्य दिवसों के भीतर। इन प्रयोजनों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और राजपत्रित छुट्टियों के अलावा अन्य दिन हैं।

12. **समन्वय समिति**

12.1 एएआई सेवाओं को सुचारू और कुशल तरीके से प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकार एतद्द्वारा एक समन्वय समिति ("**समन्वय समिति**") स्थापित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं, जिसमें (i) जेवीसी प्रतिनिधि; (ii) एएआई प्रतिनिधि; और (iii) समय-समय पर यथा आवश्यक अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

12.2 समन्वय समिति, जब तक कि पक्षकारों द्वारा बाद की तारीख में बैठक आयोजित करने के लिए अन्यथा सहमति न दी गई हो, हवाईअड्डे पर महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

12.3 **पृथक्करणीयता**

इस समझौते के किसी भी पूर्वगामी वर्ग या प्रावधान की पूरी या आंशिक अमान्यता या अप्रवर्तनीयता, ऐसे वर्गों या प्रावधानों के शेष भाग की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी। इस समझौते का कोई महत्वपूर्ण प्रावधान अमान्य या अप्रवर्तनीय ठहराए जाने की स्थिति में, पक्षकार ऐसे अमान्य या अप्रवर्तनीय प्रावधान को बदलने के लिए सद्भावनापूर्वक नए प्रावधानों पर तुरंत बातचीत करेंगे ताकि इस समझौते को इसके मूल उद्देश्य और प्रभाव के यथासंभव करीब पुनर्स्थापित किया जा सके।

12.4 **संपूर्ण समझौता**

यह समझौता, इसमें शामिल किसी भी अनुसूची या प्रदर्श (exhibits) सहित, इस समझौते के विषय के संबंध में एएआई और जेवीसी के बीच संपूर्ण समझौते को समाहित करता है और ऐसे विषय के संबंध में लिखित या मौखिक अन्य सभी समझौतों का स्थान लेता है।

12.5 **संशोधन**

कोई भी संशोधन, संशोधन या अन्य परिवर्तन किसी भी पक्षकार पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि दोनों पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में सहमति न दी गई हो।

12.6 **अतिरिक्त दस्तावेज और कार्रवाइयां**

प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों को निष्पादित करने और वितरित करने, और ऐसी अतिरिक्त कार्रवाइयां करने और ऐसा सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत होता है जैसा कि इस समझौते द्वारा परिकल्पित लेनदेन को पूरा करने और इसके आशय को प्रभावी करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

12.7 **विलंब से भुगतान पर ब्याज**

इस समझौते के अनुसार किसी पक्षकार को देय कोई भी राशि, जो भुगतान देय तिथि के बाद भी बकाया रहती है, उस पर ब्याज देय होगा (फैसले से पहले और बाद दोनों समय)। ऐसा ब्याज भुगतान देय होने की तिथि से लेकर पूरी राशि का भुगतान होने तक प्रतिदिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राइम लेंडिंग रेट (SBI PLR) से 300 बीपीएस (bps) अधिक की दर से अर्जित होगा।

12.8 **कोई तृतीय पक्ष लाभार्थी नहीं**

यह समझौता केवल और विशेष रूप से इसके पक्षकारों के लाभ के लिए है और, इसके तहत ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए अधिकारों को छोड़कर, किसी तीसरे पक्ष के साथ संविदात्मक संबंध या उसके पक्ष में कार्रवाई का कारण (कॉज़ ऑफ़ एक्शन) उत्पन्न नहीं करेगा।

12.9 **समकक्ष**

इस समझौते की एक या एक से अधिक प्रतियां बनाई जा सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा और सभी को एक ही समझौता माना जाएगा।

12.10 **समय महत्वपूर्ण घटक है**

इस समझौते में उल्लिखित तिथियों, अवधियों या दिन के समय, तथा इस समझौते के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली किसी भी तिथि, अवधि या दिन के समय के संबंध में समय एक महत्वपूर्ण घटक (esssence) होगा।

12.11 **समय की गणना**

इस समझौते में संदर्भित समय दिल्ली, भारत का समय है। इस समझौते के तहत निर्धारित या अनुमत समय की किसी भी अवधि की गणना करने में, उस अधिनियम, घटना या चूक के दिन को शामिल किया जाएगा जिससे निर्धारित समय अवधि शुरू होती है। यदि इस प्रकार गणना की गई अवधि का अंतिम दिन कोई कार्य दिवस नहीं है, तो अवधि अगले कार्य दिवस के अंत तक चलेगी।

13. **शासी भाषा**

इस समझौते की व्याख्या को नियंत्रित करने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा है। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिस और अन्य सभी संचार और दस्तावेज़ जो किसी भी तरह से इस समझौते से संबंधित हैं और जो इस समझौते के निष्पादन, कार्यान्वयन और समाप्ति से संबंधित हैं (जिसमें विवाद समाधान कार्यवाही शामिल है लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है), अंग्रेजी भाषा में होंगे।

14. **शासी कानून**

यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और उसी के अनुसार समझा जाएगा।

जिसके साक्ष्य के रूप में यह समझौता शुरुआत में बताई गई तारीख को किया गया है।

अनुसूची 1

जेवीसी उपकरण

1. रनवे
2. रनवे लाइटिंग और मार्किंग
3. टैक्सीवे
4. टैक्सीवे लाइटिंग और मार्किंग
5. साइनेज (संकेत बोर्ड)
6. एप्रन
7. एप्रन लाइटिंग और मार्किंग
8. पीएपीआई (PAPI) और एप्रोच लाइटिंग
9. एरोड्रोम बीकन (टावर पर)
10. लैंडिंग डे और नाइट मार्किंग
11. विंड सॉक और सिग्नल स्क्वायर
12. आइसोलेशन बे
13. माध्यमिक बिजली आपूर्ति
14. एटीसी (ATC) और एयरपोर्ट फायर ब्रिगेड के बीच हॉट लाइन्स
15. क्रैश बेल, केबलिंग और सायरन
16. एयरफील्ड लाइटिंग के लिए कंट्रोल पैनल और मॉनिटरिंग सिस्टम
17. विजुअल एड्स अपग्रेड करना (भविष्य के लिए)

18. आईसीएओ (ICAO) अनुलग्नकों और दस्तावेजों के अनुपालन में किसी भी और सभी दृश्य सहायता प्रणाली (या किसी भी विकल्प प्रणाली) को अपग्रेड और प्रदान करना

अनुसूची 2

सीएनएस/एटीएम सेवाएं

एएआई हवाईअड्डे पर ऐसे हवाई क्षेत्र की पार्श्व (लैटरल) और ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) सीमाओं के भीतर हवाई क्षेत्र के विन्यास के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं ("सीएनएस/एटीएम सेवाएं") प्रदान और समन्वित करेगा:

(i) एरोड्रोम नियंत्रण सेवा, जिसमें सतह आवाजाही नियंत्रण या ग्राउंड कंट्रोल शामिल है, एप्रन नियंत्रण को छोड़कर;

(ii) एप्रोच नियंत्रण/एप्रोच रडार नियंत्रण सेवा;

(iii) क्षेत्र नियंत्रण/क्षेत्र रडार नियंत्रण सेवा (यदि योजनाबद्ध हो); और

(iv) संबद्ध सेवाएं जैसे कि वैमानिक सूचना सेवा, उड़ान सूचना सेवा, सलाहकार सेवा, चेतावनी सेवा और खोज एवं बचाव समन्वय सेवाएं आवश्यकतानुसार, ये सभी प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रावधानों के अनुसार और प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक रूप में होंगी।